12

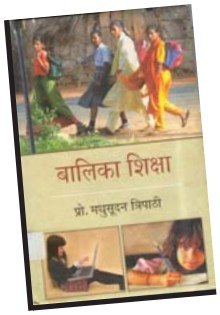

पुस्तक का नाम	बालिका शिक्षा
लेखक	प्रो. मधुसूदन त्रिपाठी
मूल्य	दो सौ पचास रूपए
संस्करण	प्रथम, 2008
प्रकाशक	विद्यावती प्रकाशन बी-216, चंदू नगर, करवलनगर रोड दिल्ली-110094

शबनम सैयदा*

कहा जाता है कि एक बालिका को शिक्षित करने से पूरे परिवार को शिक्षित किया जा सकता है। बालिका शिक्षा के महत्त्व से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा के कारण ही आम महिलाओं के लिए विकास आज भी दूर की कौड़ी है। महिलाओं की इस बदहाल स्थिति का बस एक ही कारण है- शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी। आज समूचे देश में बालिकाओं के लिए मुफ़्त शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी बहुत-सी बालिकाएँ, स्कूल के दरवाज़े तक नहीं पहुँच पाती हैं। विकास कार्यों और देश की उत्पादकता में औरतों का प्रतिनिधित्व ज़रूरी है। बालिका शिक्षा के महत्त्व और इन अवरोधकों की पहचान हेतु 'बालिका शिक्षा' पुस्तक का प्रणयन किया गया है। इस पुस्तक में बालिका शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों का पूरी ईमानदारी से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। विषय को पूरी सम्यकता से समझने के लिए पुस्तक को कुल 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है।

इस पुस्तक के लेखक मधुसूदन जी ने प्रथम अध्याय ''बालिका शिक्षा का महत्त्व'' में बालिकाओं के लिए शिक्षा के महत्त्व को बड़ी कुशलता के साथ पाठकों एवं अभिभावकों को समझाने का प्रयास किया है। शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। विद्वानों का मत है कि ज्ञान मनुष्य की तीसरी आँख है और यह तीसरी आँख समस्त तत्त्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता एवं संस्कृति के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में महिला

* कनिष्ठ परियोजना अध्येता, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व है, फिर भी हमारे देश में महिला शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है। भारतीय महिलाओं के बीच शिक्षा का बेहद अभाव है, जिस कारण वे लगातार हर क्षेत्र में पिछड़ती जा रही हैं। शिक्षा के बिना न तो महिला जागरूक हो सकती है और न ही सशक्त। किसी भी देश का वास्तव में विकास तभी संभव है, जब वहाँ की संपूर्ण आबादी का उसमें योगदान हो। पुस्तक के प्रथम अध्याय में इस प्रश्न को उठाया गया है कि भारत में जब 'आधी आबादी' के हिस्से की शिक्षा ही पूरी नहीं है, तो फिर किस प्रकार वह देश की उन्नति में हाथ बँटा सकती है? इस अध्याय में महिला शिक्षा को दो भागों- एक प्रारंभिक साक्षरता और दूसरा कार्यात्मक साक्षरता में बाँटा गया है। प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम में अधिक-से-अधिक ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि महिलाएँ अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इन बातों पर भी टिप्पणी की गई है कि दहेज, बालविवाह, वेश्यावृत्ति जैसे अपराध का मुख्य कारण शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अपराधों का शिकार होना पड़ता है। बालिका शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बालिकाएँ शिक्षित होंगी तो वे अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकेंगी। जब महिला स्वस्थ होगी तो पूरा परिवार विशेषकर बच्चे भी स्वस्थ होंगे। स्वस्थ परिवार ही विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बालिका शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए।

पुस्तक के द्वितीय अध्याय ''आज़ादी से पूर्व बालिका शिक्षा'' में आज़ादी से पूर्व बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है और पूर्व आर्यन युग, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्रमाणों, वैदिक युग, बौद्धकाल, मुस्लिम काल, उन्नीसवीं सदी के चारों चरणों और हार्टिंग कमिटी के दौरान बालिकाओं के शैक्षिक हालात की विस्तृत विवेचना भी की गई है। प्राचीनकाल में बालिका शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था। पूर्व आर्यन युग में महिलाएँ समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखती थीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मूल प्रमाण भी इस बात को उजागर करते हैं कि आर्यों के पूर्व के सिंधु समाज में महिलाएँ विशेष सम्मान प्राप्त करती थीं। शिक्षा के बिना ऐसे सम्मान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सिंधु सभ्यता में स्त्री रूपों को ही अधिक पूजा जाता था और राज्य तथा संपत्ति का उत्तराधिकार कन्याओं को मिलता था। वैदिक युग में महिलाओं का एक ऐसा वर्ग था, जो जीवन भर पठनपाठन में लगा रहता था। इन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। रुप्पला, विश्ववरा गार्गी तथा अत्रेयी आदि इस समय की विदुषी दार्शनिक महिलाएँ थीं। वैदिक युग में अविवाहित कन्याओं को भी पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वैदिककाल में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति अत्यधिक मज़बूत थी और उन्हें बिना भेदभाव के शिक्षा का अवसर प्राप्त था, परंतु वैदिक युग के बाद के कालखंड को क्रांति युग की संज्ञा दी जाती है। इसी दौरान समाज में महिलाओं की स्थिति का चरण आरंभ हुआ।

महिलाओं और जैन धर्मों में स्त्रियों को भिक्षुणी और साध्वी बनने का तो अधिकार था, लेकिन इनकी स्थिति भिक्षु और साधकों से निम्न ही समझी जाती थी। बौद्ध एवं जैन धर्मों की तुलना में हिंदू धर्म में उनकी सामाजिक स्थिति निरंतर तेज़ी से गिरती चली गई और इस धर्म में महिलाओं को दोयम दर्ज़े का नागरिक माना जाता था। मुस्लिम शासनकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बेहद मामूली से प्रयास किए गए थे और ये प्रयास भी मात्र लड़कों तक ही सीमित थे। स्त्री शिक्षा की जो व्यवस्था थी, वह केवल शाही घरानों और कुलीन वर्गों की मुस्लिम बालिकाओं तक ही सीमित थी। उन्नीसवीं सदी के आरंभ में देश पर अँग्रेज़ों का राज स्थापित था। इस समय बालिका शिक्षा का प्रचलन तो था, परंतु स्कूल में लड़कों का प्रतिशत लड़कियों की तुलना में अधिक था। इस अध्याय में आधुनिक शिक्षा के काल को कुल चार चरणों में विभाजित कर बालिका शिक्षा की स्थिति का वर्णन बड़े ही अच्छे ढ़ंग से किया गया है। आधुनिक शिक्षा का प्रथम काल सन् 1700 से लेकर 1813 ई. तक माना जाता है। सर्वप्रथम सन् 1715 में मद्रास में पादरी स्टेमेंसन ने सेंट मेरी चैरिटी स्कूल की स्थापना की। इसके अलावा भी कई चैरिटी स्कूल खोले गए। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में अँग्रेज़ों द्वारा प्रयास किए गए थे, लेकिन शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया था। शिक्षा केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। आधुनिक शिक्षा का द्वितीय चरण सन् 1813 से 1854 ई. के बीच माना जाता है। इस चरण के दौरान मैकॉले ने बालिका शिक्षा के लिए कुछ प्रयास भी किए। विलियम बैंटिक ने सती प्रथा के उन्मूलन के द्वारा सामाजिक सुधार की दिशा में एक कठोर कदम उठाया था। लॉर्ड डलहौजी का विचार था कि भारतीय कन्याओं में शिक्षा के प्रसार से बढ़कर अन्य कोई सुधार भारतवासियों के लिए अधिक हितकर नहीं सिद्ध होगा। अत: इस दौरान शिक्षा संबंधी प्रयास केवल लड़कों की शिक्षा तक ही सीमित नहीं थे, अपितु लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। आधुनिक शिक्षा के तृतीय चरण में बालिका शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए गए। सन् 1882 ई. के भारतीय शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा की समस्या पर पूरा गौर किया और इसके संबंध में कई सिफ़ारिशें भी की। 1882 के बाद भारत में स्त्री शिक्षा की कुछ प्रगति अवश्य हुई। 1902 में आधुनिक शिक्षा का चतुर्थ दौर आरंभ हुआ। इस दौरान बालिका शिक्षा की दिशा में काफ़ी प्रयास किए गए। 1904 लॉर्ड कर्जन ने बालिका शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए। इन प्रयासों और सुझावों का परिणाम यह हुआ कि संख्या वृद्धि के साथ-साथ कॉलेज की छात्राओं का विद्यालय जीवन भी पहले की अपेक्षा अधिक सार्थक होने लगा। 1902 में तो मुसलमान लड़कियाँ भी कॉलेज में पढ़ने लगीं। द्वितीय अध्याय में हार्टिंग कमेटी की भी विस्तारपूर्वक विवेचना की गई है। सन् 1927 ई. में हार्टिंग कमेटी ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए सुझाव दिए कि कन्या स्कूलों के निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए, लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा की प्रगति धीरे-धीरे होनी चाहिए, लड़कियों के लिए

अतिरिक्त विषय रखे जाएँ आदि। सन् 1937–1947 की अवधि में भारतीय स्त्रियों ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रगति की और यह प्रगति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक रही। सन् 1947 ई. में अनेक भारतीय स्त्रियाँ सरकारी तथा गैर सरकारी पदों पर प्रतिष्ठित थीं। इसके साथ-साथ विश्वविद्यालयों को छोड़कर भारत में कुल मिलाकर स्त्री शिक्षा की 16,948 संस्थाएँ (स्कूल-कॉलेज) थीं। इस तरह स्त्री शिक्षा की दिशा में यह काल स्वर्णकाल के रूप में रहा।

पुस्तक के तृतीय अध्याय में आज़ादी प्राप्ति के बाद बालिका शिक्षा की स्थिति को उजागर करने का प्रयास किया गया है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास में एक नए तथा गौरवपूर्ण युग का समारंभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत पर कई मुसीबतें एक साथ टूट पड़ीं। विभाजन के कारण एक ओर तो पूरा देश सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा था, तो दूसरी ओर विभाजन के कारण लाखों लोगों को विभाजित होना पड़ा। इसी के कुछ समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में सरकार, शिक्षा अथवा अन्य रचनात्मक कार्यों की ओर न तो पर्याप्त ध्यान दे सकती थी और न ही वह इस मद में पैसा खर्च कर सकती थी। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम चरण में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में वह प्रगति नहीं हो सकी जो कि अनुकूल परिस्थितियों में हो सकती थी। इन सबके बावजूद सरकार, शिक्षा के प्रति पूरी तरह से विमुख नहीं रह सकती थी। विभिन्न कठिनाईयों के समक्ष भी वह शिक्षा के पुनर्निर्माण तथा प्रगति की ओर प्रयासरत रही। सन् 1953-54 में सारे देश में कुल मिलाकर 3,21,405 शिक्षण संस्थाएँ क्रियाशील थीं, जिनमें लगभग 296 लाख छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसी दौरान प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि पर ज़ोर दिया गया।

पुस्तक के चतुर्थ अध्याय में शिक्षा के मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्त्वों के महत्त्व को समाहित किया गया है। हमारे संविधान निर्माता बालिका शिक्षा के महत्त्व से भली-भाँति परिचित थे। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान किए जिनकी सहायता से भारतीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। भारत के संविधान में स्त्रियों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव न करते हुए उन्हें पुरुषों के समान ही बराबर के अधिकार दिए गए हैं, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर विकास की दौड़ में भागीदार बन सकें। एक संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को भी मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर लिया गया है। बालिका शिक्षा की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना अब प्रत्येक बालिका का मौलिक अधिकार बन गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्त्वों का विशद् वर्णन किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक में राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित उपबंध है। भारत के संविधान में कई ऐसे नीति निर्देशक तत्त्व दिए गए हैं, जो सीधे-सीधे महिलाओं के कल्याण और बालिका शिक्षा से संबंधित हैं।

बस ज़रूरत इस बात की है कि इन प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए।

पुस्तक के पाँचवें अध्याय में बालिका शिक्षा की उन्नति हेतु बनाई गई विभिन्न समितियों का वर्णन है, सरकार और विभिन्न एजेंसियों द्वारा बालिकाओं के बीच शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए लंबे समय से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न समितियों और आयोगों का गठन समय-समय पर किया गया है, ताकि उन कारणों का पता लगाया जा सके, जिनके कारण महिला साक्षरता का प्रतिशत बढ़ नहीं पा रहा है। बालिका शिक्षा की दिशा में आ रही दिक्कतों को समझने और रुकावटों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम सन् 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने बालिका शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। इसके बाद 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में गंभीर विचार किया और फिर सिफ़ारिशों से संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके अलावा भी कुछ प्रमुख समितियाँ और आयोग जैसे- दुर्गाबाई देशमुख समिति, श्रीमती हंसा मेहता समिति, भक्तवत्सलम् समिति, स्त्री शिक्षा आयोग, स्त्री शिक्षा समीक्षा समिति, कामकाजी महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय आयोग आदि का गठन किया गया। हंसा मेहता समिति का गठन 1962 में हुआ। इस समिति का मानना था। कि बालिकाओं के लिए इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि वे घर और व्यवस्था दोनों को संभाल सकें। इस प्रकार सरकार के इन प्रयासों के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं और अब बालिकाओं के बीच शिक्षा का प्रचार-प्रसार अपेक्षाकृत काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन यह संतुष्ट होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाने का समय नहीं है। पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य अभी काफ़ी दूर है। यह केवल सरकार की ही ज़िम्मेदारी नहीं है। इस राष्ट्रीय आंदोलन में हम सभी को अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए।

पुस्तक के छठे अध्याय ''शिक्षा नीति में बालिका शिक्षा'' में बुनियादी शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विस्तृत विवेचना की गई है। आज़ाद भारत की सरकार ने सर्वशिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि तत्कालीन आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियाँ बेहद प्रतिकूल थीं। वस्तुतः जैसे-जैसे समय गुज़रता गया सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य हमसे और दूर होता गया। सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयास नब्बे के दशक में किए गए थे। इन्हीं की बदौलत साक्षरता की दर कुछ बढ़ी। सार्वभौम बुनियादी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा सन् 1986 ई. में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। इस नीति में कहा गया कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। महिला सशक्तीकरण आज वक्त की ज़रूरत है। इस उद्देश्य को मात्र

बालिका शिक्षा के सहारे ही प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा नीति में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव को भी समाप्त करने की बात कही गई। इस नीति के अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा को भी काफ़ी महत्त्व दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए सन् 1990 में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया। इसको 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करनी थी। राममूर्ति समिति का यह मत था कि महिलाओं को अधिकार दिए बगैर देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि महिलाओं को हर स्तर पर अधिकार दिए जाएँ। संशोधित शिक्षा नीति में सर्वाधिक ज़ोर अनौपचारिक शिक्षा पर दिया गया था और विकास के कार्यक्रमों में आम जनता की भागीदारी बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया गया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आवश्यक संशोधन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक संपूर्ण नीति बन गई थी। ज़रूरत केवल इस बात की थी कि इन प्रावधानों को गंभीरता से लागू करने दो।

बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित आँकडों का गहन विश्लेषण इस पुस्तक के सातवें अध्याय में मिलता है। दुनिया के सबसे अधिक बच्चे हमारे देश में बसते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा निरक्षर और कुपोषित बच्चे भी भारत में ही हैं। हमारे देश में लगभग 40 करोड़ बच्चे बसते हैं। बच्चों की कुल आबादी में बालकों की संख्या अधिक और बालिकाओं की कम है। इससे स्पष्ट होता है कि लैंगिक भेदभाव किया जाता है और यह लैंगिक भेदभाव बालिकाओं के साथ चाहे वह शिक्षा हो या अन्य सुविधाएँ हर स्तर पर किया जाता है। पुस्तक के अंतर्गत आँकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि लड़कियों की साक्षरता दर और मृत्यु दर लड़कों की तुलना में उच्च है। सन् 1999-2000 की स्थिति के मुताबिक स्कूल जाने वाल लड़कों का प्रतिशत अधिक था, जबकि लड़कियों का प्रतिशत कम। इसी प्रकार 2001 में की गई जनगणना से पता चलता है कि जहाँ पुरुष साक्षरता दर 76 प्रतिशत थी, वहीं स्त्री साक्षरता दर मात्र 54 फीसदी ही थी। उपरोक्त आँकड़ों से पता चलता है कि भारतवर्ष में बालिका शिक्षा की स्थिति आज भी काफ़ी खराब है। हालाँकि आज़ादी के बाद से इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन सुधार की रफ़्तार काफी धीमी है। इस दिशा में अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है।

आठवें अध्याय ''कैसे बढ़े बालिका शिक्षा'' में बालिका शिक्षा और राष्ट्र के मध्य संबंध स्थापित किया है। इसके साथ-साथ उन सवालों को भी उठाया गया है कि बालिकाओं की शैक्षिक दर को किस प्रकार बढ़ाया जाए? इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा की राह में आने वाली रुकावटों और दूर करने के उपाय भी इस अध्याय में सुझाए गए हैं। बालिकाओं की शिक्षा की राह में सबसे बड़ी रुकावट जागरूकता की कमी है। अभिभावकों की संकुचित मानसिकता को बदलना होगा और उन्हें यह समझाया जाना चाहिए कि शिक्षित बालिका ही एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी नागरिक बनकर देश को

विकास के मार्ग पर अग्रसर कर सकती है। बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा अनेक सरकारी एजेंसियाँ प्रयास कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालिका शिक्षा की तस्वीर कैसे बदली जाए, इस संदर्भ में सन् 1995 में चीन के बीजिंग शहर में हुए चौथे विश्व महिला सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई। इसी तरह बालिका शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन सन् 1993 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। बालिका शिक्षा आज वक्त की ज़रूरत है। केवल सरकारी प्रयास से ही तस्वीर कुछ खास बदलने वाली नहीं है। इस काम में हम सभी को आगे आना होगा और अपने-अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा।

पुस्तक के नौवें अध्याय ''आदर्श बालिका विद्यालय'' के अंतर्गत सहशिक्षा के समर्थन में एवं सहशिक्षा के विरोधी विचारों को व्यक्त किया है और इन प्रश्नों को भी उठाया है कि एक आदर्श बालिका विद्यालय कहते किसे हैं? वैसे बालिकाओं की शिक्षा के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता है। भारत में परंपरागत समाज होने के कारण अधिकांश लोग सहशिक्षा वाले स्कूलों में लड़कियों को भेजने से कतराते हैं। वहीं कुछ लोगों का विचार सहशिक्षा के पक्ष में हैं। ऐसे लोगों का सोचना है कि जब लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे के साथ पढ़ते-लिखते हैं तो एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और एक-दूसरे के विचारों को भी समझते हैं। इन बच्चों में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी भी होती है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि उसमें बालिकाएँ अपने-आपको पूरी तरह से सुरक्षित समझें।

पुस्तक के अंतिम अध्याय ''बालिका शिक्षा हेतु सरकारी कार्यक्रम'' में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों व परियोजनाओं का ज़िक्र किया गया है। सबसे पहली बात राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की है। यह महत्त्वाकांक्षी परियोजना भारत सरकार द्वारा 1988 में आरंभ की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना था। उड़ीसा के कई क्षेत्रों में महिला साक्षरता कार्यक्रम चलाए गए। झारखंड में भी विशेष महिला साक्षरता कार्यक्रम चलाए गए। सतत् शिक्षा, मानव संसाधन विकास कार्ययोजना और शिक्षार्थी समाज के सृजन के लक्ष्य के लिए एक अनिवार्य पहलू है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने सतत् शिक्षा को अपने क्रियाकलापों का एक आवश्यक घटक बनाया है। इसके अलावा पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए भी शैक्षिक कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा दोपहर भोजन योजना, सर्वशिक्षा अभियान, ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ब्लैकबोर्ड अभियान, लोकजुंबिश परियोजना, शिक्षाकर्मी परियोजना, महिला समाख्या, जनशाला कार्यक्रम, अध्यापक शिक्षा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जनसंख्या शिक्षा परियोजना, स्कूल में विज्ञान की शिक्षा में सुधार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना आदि अन्य कार्यक्रम चलाए गए।

इस पुस्तक में बालिका शिक्षा का महत्त्व अध्याय से लेकर बालिका शिक्षा हेतु सरकारी कार्यक्रम अध्याय तक के विवरण को परत दर परत इस तरह से उजागर किया गया है कि आम पाठकों के लिए भी पुस्तक उपयोगी

सिद्ध हो सके। पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विषय बेहद विस्तृत और कठिन होते हुए भी सरल एवं बोधगम्य है। पुस्तक में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है।

❑❑❑